

फर्द अहकाम

मदन सिंह बनाम जनक सिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा

प्रकरण संख्या 51 / 2023 5191

आज्ञा विस्तृत रूप से

क. संख्या
दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही

26.5.25

चकुलाये फरीकन उपस्थित वकीलों
ने कार्य स्थगित कर दिया है अतः
पत्रावली दिनांक 07.07.25 को
पेश हो।

07.07.25

पत्रावली पेश। वही व गतिवर्तिगण (उभय) से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय से दोबारा बार-बार आवाज लगाकर उभय की वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण वादी उ वारफ़ सफ़्त हाजरी एवं अदम पैरवी में त्वारिज मिला जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से क्रम ही बार दाखिल इफ़्त हो।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)